

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बंशीलाल

विपक्षी : शान्तिलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 82/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 18.11.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित है। अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 उपस्थित। प्रार्थी दिनांक 14.06.2021 को फौत होने से अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थना पत्र अबेट किया जाने का पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अब तक वारिस कायमी नहीं कराई है। वादी का वाद भी आज अबेट कर खारिज किया जा चुका है। आज भी अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अबेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र अबेट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

